WESTERN RAILWAY

P.S.No.48/2011

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP 58/18 Vol.V

Date: 05.05.2011

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Retention of Railway accommodation on educational grounds – definition of "end of academic / scholastic session".

==========

A copy of Railway Board's letter No. E(G)2006 QR 1-14 dated 05.04.2011 [RBE No.43/2011] is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter mentioned therein are circulated as under

Sr.No.	Railway Board's letter No. and date and R.B.E. No.	Circulated under this office letter No. and date and P.S. No.
1.	E(G)2006 QR 1-14 (C) dated 20.11.2006 [RBE No.174/2006]	EP 58/18 Vol.IV (C) dt.12.12.2006 P.S.No.183/2006
2.	E(G)85 QR 1-9 dated 15.01.90	EP 58/18 Vol.II dt.08.02.90 P.S.No.28/90
3.	E(G)2006 QR 1-14 (C) dated 12.11.2007	EP 58/18 Vol.IV dt.29.11.2007 P.S.No.176/2007

Encl: As above.

Sd/- 10/5/2011

(S. Kademani)
For General Manager(E)

Copy of Rly Bd's letter No. E(G)2006AR1-14 dt. 5.4.20112011 [RBE No.43/2011] addressed to the General Manager's All indian Railways and others.

Sub: Retention of Railway accommodation on educational grounds – definition of "end of academic / scholastic session".

Ref: Board's letter No. E(G)2006 QR1-14(C) dt. 20.11.2006, E(G)85 QR1-9 dated 15.01.90 and E(G)QR1-14 dated 12.11.2007.

Attention is invited to the contents of Railway Board's letter No. E(G)2006 QR1-14 dated 12.11.2007 where the matter regarding retention of accommodation on educational grounds was reiterated as under:

"Retention of Railway accommodation in the even to permanent transfer is permitted on educational grounds to cover the current academic session. The academic/scholastic session has been defined as the academic course ending with annual examination. This aspect has been reviewed and in partial modification of instructions contained in letter No. E(G)85 QR 1-9 dated 15.1.90, it has been decided that for the purpose of retention of Railway accommodation, the end of academic/scholastic session shall means "last paper of annual examination plus fifteen days time.".

The matter regarding re-iteration of the existing instructions was discussed in the DC/JCM vide item No. 2/2009 and as decided the instructions are re-iterated as under:

"In the event of permanent transfer retention of Railway accommodation is allowed on educational ground to cover the current academic session only (i.e. end of the academic/scholastic session) plus 15 days. The end of academic/scholastic session shall, in this case mean "last paper of annual examination."

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.48/2011

प्रधान कार्यालय,
चर्चगेट, मुंबई.

सं.ई पी/58/18 भाग V

दि. 05-05-2011

सभी मं.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज .

प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्म.. एसो. 'वेस्ट' झोन,मुंबई..

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल कर्मचारी.एसोसिएशन , मुंबई.

विषय : शैक्षिक आधार पर रेल आवास अपने पास रखना - "आकस्मिक / शैक्षिक सत्र की समाप्ति " संबंधी परिभाषा ।

****

रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 05.04.2011 के पत्र सं.ई(जी) 2006 क्यू आर 1-14 (आर बी ई सं.43/2011) की प्रतिलिपी सूचना, मार्गदर्शन व आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।

बोर्ड के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित रेलवे बोर्ड के पत्रों को निम्नानुसार परिपत्रित किया गया है ।

क्र.सं.	रेलवे बोर्ड के पत्र सं.तथा दिनांक तथा आर बी ई सं.	इस कार्यालय का पत्र, दिनांक तथा पी एस सं. जिससे परिपत्रित किया गया ।
1.	ई(जी)2006 QR-1-14(C) Dtd.20.11.2006 (आर बी ई सं.174/2006)	ई पी 58/18 भाग IV (C) दिनांक 12.12.2006 पी एस सं.183/2006
2.	ई(जी)85 QR 1-9 dtd.15.01.90	ई पी 58/18 भाग II दिनांक 08.02.90 पी एस सं.28/90
3.	ई(जी)2006 QR 1-14 dtd.12.11.2007	ई पी 58/18 भाग IV दिनांक 29.11.07 पी एस सं.176/07

संलग्न : यथोक्त

(एस कडेमणी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यों को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र सं. दिनांक **05.04.2011 के पत्र सं.ई(जी) 2006** क्यू आर 1-14 **(सी) (आर बी ई सं.43/2011)** की **प्रतिलिपी ।**

विषय : शैक्षिक आधार पर रेल आवास अपने पास रखना - "आकस्मिक / शैक्षिक सत्र की समाप्ति " संबंधी परिभाषा ।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 20.11.2006 का पत्र सं.ई(जी)2006 क्यूआर 1.14 (सी), दिनांक 15.01.1990 का पत्र सं.ई(जी)85 क्यू आर 1-9 तथा दिनांक 12.11.2007 का पत्र सं.ई(जी)2006 क्यू आर 1-14.

रेलेव बोर्ड के दिनांक 12.11.2007 के पत्र सं. ई(जी)2006 क्यूआर 1.14 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें शैक्षिक आधार पर रेल आवास अपने पास रखने से संबंधित मामले की निम्नानुसार पुनरावृत्ति की गई थी ;

"स्थाई स्थानांतरण के मामले में रेल आवास को अपने पास रखने की अनुमति चालू शैक्षिक सत्र के पूरा होने तक शैक्षिक आधार पर दी जाती है । अकादमिक / शैक्षिक सत्र को वार्षिक परीक्षा के समय समाप्त होने वाले अकादमिक पाठ्यक्रम के रू प में परिभाषित किया गया है । इस पहलू की पुनरीक्षा की गई है और बोर्ड के दिनांक 15.01.1990 के पत्र सं.ई(जी)85 क्यू आर 1-9 मे अंतर्विष्ट अनुदेशों में आंशिक आशोधन करते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि रेल आवास को अपने पास रखने के प्रयोजन हेतु, अकादमिक / शैक्षिक सत्र की समाप्ति का अर्थ "वार्षिक परीक्षा का अंतिम पेपर जमा पंद्रह दिन का समय" होगा ।

मौजूदा अनुदेशों की पुनरावृत्ति से संबंधित इस मामले पर डीसी/जेसीएम में मद सं.2/2009 द्वारा विचार-विमर्श किया गया था तथा लिए गए निर्णय के अनुसार अनुदेशों की निम्नानुसार पुनरावृत्ति की जाती है:

"स्थाई स्थानांतरण के मामले में रेल आवास को अपने पास रखने की अनुमति शैक्षिक आधार पर केवल चालू शैक्षिक सत्र के पूरा होने तक (अर्थात अकादमिक / शैक्षिक सत्र की समाप्ति) + 15 दिन के लिए दी जाती है। इस मामले में अकादमिक / शैक्षिक सत्र की समाप्ति का अर्थ "वार्षिक परीक्षा का अंतिम पेपर जमा पंद्रह दिन का समय" होगा ।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

कृपया पावती दें ।

****